न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2024-157RAAJodhpur2024-84RTA225 Tulcharam ors Vs Daularam etc

1. तुलछाराम पुत्र नारायणराम,
2. बिड़दाराम पुत्र नारायणराम
3. मंगाराम पुत्र श्री नारायणराम के कायम मुकाम–
   3.1. भीराराम पुत्र मंगाराम
   3.2. बुधाराम पुत्र मंगाराम
   3.3. ओमप्रकाश पुत्र मंगाराम
   3.4. केलकी पत्नी मंगाराम

   जातियान माली, निवासी जालीवाडा कला, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. दौलाराम पुत्र श्री खींयाराम जाति जाट, निवासी– जालीवाडा कलां, तहसील पीपाड जिला शहर, जिला जोधपुर।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड शहर जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेष दिनांक 28 मार्च 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 426/2021 दौलाराम बनाम तुलछाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री शैतानराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 09 मई 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 426/2021 दौलाराम बनाम तुलछाराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 28 मार्च 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष

राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 13 मई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 278 ग्राम जालीवाड़ा कला तहसील पीपाड़ शहर में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 282/1 में सें मार्क ए.बी.सी.डी. 20 फुट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांर्थीगण/अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेष दिनांक 28 मार्च 2024 के जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने अपनी में तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के खेत खसरा नं0 278 की भूमि के चिपते पश्चिम तरफ खसरा नं0 235 प्रत्यर्थी सं० 1 के परिवार की भूमि है जिसमें से होकर निकटतम एवं सुविधाजनक रास्ता मौके पर उपलब्ध एवं चलायमान है। इसके अलावा ग्राम नानण से रावनियावास जाने वाले कटाणी रास्ता से होकर रेस्पोडेंट संख्या एक अपने खेत खसरा नं0 278 में आता जाता है। अपीलार्थीगण की भूमि में से कोई रास्ता नहीं चलता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि की मालियत 97577/– रूपये प्रति हैक्टेयर असिंचित भूमि मानकर की गई है जो गलत है। वर्तमान समय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश करने की तारीख तक ग्राम जालीवाडा असिंचित भूमि की डी०एल०सी० 1,47,301 /– रूपये प्रति हैक्टेयर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलार्थीगण की भूमि का मूल्यांकन किया गया है वो न्यायसंगत व उचित नही है। प्रत्यर्थी सं० 1 के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के कारण वह अपीलांट्स की भूमि में से नया रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इस कारण मी आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

दौराने बहस अपीलांट्स के अधिवक्ता ने रास्ते की प्रतिकर राषि भूमि के बदले भूमि दिये जाने का निवेदन किया।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया किं अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेष दिनांक 28 मार्च 2024 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता लघुतम एवं निकटतम है जो विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से साबित है। अपीलांट्स द्वारा रास्ता न देने की नियत से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुए उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत रास्ते का आदेष पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07 मार्च 2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक` के खातेदारी खसरा नंबर 278 में आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. को लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। मौका फर्द में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौका फर्द अनुसार विधिसम्मत आदेष पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट का तर्क है कि भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर वह रास्ता दिये जाने पर सहमत है। इस संबंध में अदालत हाजा का मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251–ए में विहित प्रावधानों अनुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर राषि का आदेष पारित किया गया है। पक्षकारान् की बिना सहमति भूमि के बदले भूमि

प्रतिकर राषि दिये जाने का आदेष पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार प्रतिकर राषि की गणना नही की है। इस संबंध में अपीलांट की ओर से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलांट्स का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए की मंषा के अनुरूप उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए लघुतम एवं निकटतम रास्ता प्रदान किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेष में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 426/2021 दौलाराम बनाम तुलछाराम इत्यादि में पारित आदेष दिनांक 28 मार्च 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर